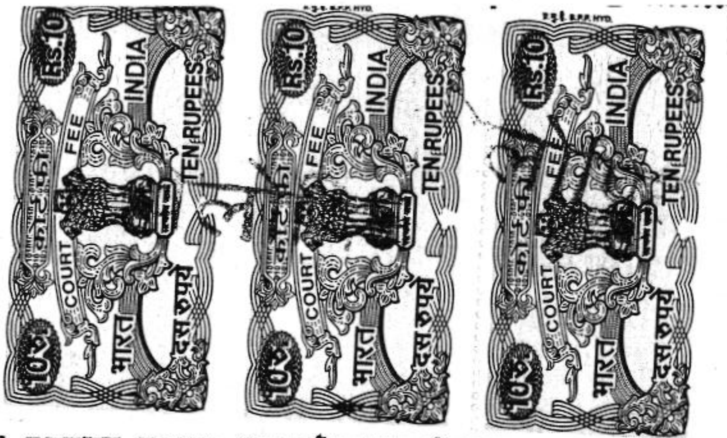

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२०१६ निगरानी नि-1199-II-16

श्री ... द्वारा आज दि. 18-4-16 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मुनीन्द्र सिंह पुत्र तेजबहादुर सिंह चौहान,
निवासी- ग्राम नौगमाधीर सिंह, तहसील
गोपदबनास जिला सीधी (मध्यप्रदेश) ।

------ प्रार्थी

विरुध्द

१- लाला पुत्र मारियारी कोल,

२- रंगनाथ पुत्र अनन्दा कोल,

३- कुंआरे पुत्र मोहन कोल,

४- पोकवा पुत्र मारियारी कोल,

५- राजधारी सिंह पुत्र नदात्रधारी सिंह,
समस्त निवासीगण ग्राम- नौगमाधीर सिंह,
तहसील- गोपदबनास जिला सीधी- मध्यप्रदेश ।

---- प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी विरुध्द आदेश एस०डी०ओ० महोदय, गोपदबनास जिला-सीधी दिनांक ३१-०३-१६, अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता १९५९ । प्र०क्र० अंपजियत /अ-२३/१५-१६ ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थना पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

१- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एवम् कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है ।

३- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय के न्यायालय में प्रकरण में की जा रही कार्यवाही प्रकरण को पंजियत किये बिना ही की जा रही

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक R/1199/II/16, सीधी , मुनीन्द्र / आत्मा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
8/1/19	आवेदक की ओर से श्री एस. के. अवस्थी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास के प्रकरण क्रमांक अपील/अ-23/15-16में पारित आदेश दिनांक 31/03/16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू.राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला सीधी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 23/4/19 को कलेक्टर जिला सीधी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । सदस्य	